भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4828 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

नासिक में शुष्क पत्तन की स्थापना

†4828. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थानीय उद्योगों और किसानों के लिए निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नासिक में शुष्क पत्तन स्थापित करने हेतु लंबे समय से लंबित प्रस्ताव से अवगत है, और यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हुई है, यदि हां, तो इन मुद्दों को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने अंगूर, प्याज और अनार जैसे कृषि-निर्यात का समर्थन करने और एमएसएमई को बढ़ावा देने से नासिक शुष्क पत्तन को होने वाले आर्थिक लाभों का आकलन किया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार परियोजना में तेजी लाने के लिए स्पष्ट समय-सीमा, बजट आवंटन और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक विस्तृत रूपरेखा पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का प्रस्ताव, परियोजना लागत की मंजूरी के लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के पास है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) द्वारा किया गया और वर्तमान में, यह जेएनपीए के दख़ल में है।

(ग): जी हां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कृषि उपज, निर्यात और आयात की मांग सहित विस्तृत बाजार मांग का विश्लेषण शामिल है।

(घ) और (ङ): एमएमएलपी नासिक, सार्वजनिक- निजी- भागीदारी (पीपीपी) - डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, हस्तांतरण) (डीबीएफओटी) आधारित एक परियोजना है। परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष है।

****